

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना लाजिमी आया है। अप्रार्थी को पाबंद नहीं किया गया तो वे अविभाजित भूमि में पुख्ता निर्माण कर सकते हैं या रहन वय कर सकते हैं। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी के वकील की एकपक्षीय बहस सुनी व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। उक्त वर्णित आराजी सहखातेदारी की आराजी है। आराजी का विधिवत बंटवारा भी नहीं हुआ है। प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देने से विवाद उत्पन्न हुआ है इसलिये हम उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते हैं। अतः उभय पक्ष को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक 14.08.2023 तक पाबंद किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। वास्ते तलबी दिनांक 14.08.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

14.8.23 आज प्रजावली पेश हुई
वकील प्रार्थी उपस्थित। वाईल जाए
तामिल दिनांक 01.09.23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

18.8.23 आज प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश
करे पर प्रजावली तलब की गयी। प्रार्थी
उपस्थित। प्रार्थी प्रार्थना पत्र को अंगी
यलाना नहीं चाहेता है। प्रार्थी की तरफ से
श्री योगेश शर्मा एडवोकेट की गैर दावा
भी विज्ञे किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र
को चलाते का झोचिल नहीं रह जाया है।
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र विज्ञे की
इजाजत दी जाती है। प्रार्थना पत्र दिनांक
19.7.23 निरस्त की जाती है। प्रजावली के तलब पर कोई

श्रीव जाए
gud - 12
श्रीव जाए

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना लाजिमी आया है। अप्रार्थी को पाबंद नहीं किया गया तो वे अविभाजित भूमि में पुख्ता निर्माण कर सकते हैं या रहन वय कर सकते हैं। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी के वकील की एकपक्षीय बहस सुनी व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। उक्त वर्णित आराजी सहखातेदारी की आराजी है। आराजी का विधिवत बंटवारा भी नहीं हुआ है। प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देने से विवाद उत्पन्न हुआ है इसलिये हम उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते हैं। अतः उभय पक्ष को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी दिनांक 14.08.2023 तक पाबंद किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथार्थिती बनाये रखेंगे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। वास्ते तलबी दिनांक 14.08.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

14.8.23

आज पत्रावली पेश हुई
वकील प्रार्थी उपस्थित। वाइज्जाल
तामिल दिनांक 01.09.23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

18.8.23

आज प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश
करके पर पत्रावली तलब की गयी। प्रार्थी
वकील उपस्थित। प्रार्थी प्रार्थना पत्र को अलग
चलाता नहीं चाहता है। प्रार्थी की तस्दीक
श्री योगेश्वर शर्मा एडवोकेट की गैर दावा
भी विज्ञे किया जा चुका है। प्रापत्र T.I.
को चलाने का कोन्विल नहीं रह जा रहा है।
प्रापत्र स्वीकार किया जाकर प्रा.पत्र विज्ञे की
इजाजत दी जाती है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध T.I. दिनांक
19.7.23 निश्चल की जाती है। पत्रावली के तलब युक्त है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा